

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-3/53/2016/10-11/5/1762 भोपाल, दिनांक 20/05/2022
प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:-सागर जिले के अन्तर्गत कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 79.912 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-20/2018-FC दिनांक 12.04.2022

---0---

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त की जाकर निम्नानुसार संलग्न प्रेषित है :-

शर्त	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
i.	The copy of records showing that the non-forest land for raising Compensatory Afforestation is transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be submitted.	परियोजना मे प्राप्त गैर वनभूमि वनविभाग के नाम हस्तांतरित एवं नामनांतरित हो गई हैं। हस्तांतरित खसरे की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
ii	The certificate from the Nodal Officer, Madhya Pradesh that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances signed by the has not been submitted.	उक्त के पालन मे प्रमाण पत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है कि भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/53/2016/10-11/5/1763
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त छतरपुर/ वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
2. वनमंडलाधिकारी, (सा0) वनमंडल छतरपुर/ दमोह, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना संचालक, बीना पी.एम.यू., जल संसाधन विभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: फुलवारी			पटवारी हल्का: सासन			तहसील: शाहगढ			जिला: सागर		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक वे प्रास्थितियों में सुधार के अंदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1/2 (S)		14.9120 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						दि.06/10/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया दि.04/10/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0021/अ-19(3)/2017-18 एवं आदेश दिनांक22/05/2018के अनुसार दिनांक 18/05/2022 को शासकीय से निजी में परिवर्तन दर्ज न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0021/अ-19(3)/2017-18, आदेश दि. 22/05/2018 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर महोदय सागर

प्रमाण-पत्र

जिला सागर के अन्तर्गत कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि 79.912 हेक्टेयर के एवज में आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 19.03.2022 को किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


20/5/2022
(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल